कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 18

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

क. वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		3.00	155.00	158.00	3.00	150.00	153.00	3.00	186.62	189.62
पूंजी		*30.00*	*15.00*	*45.00*	*60.00*	*10.00*	*70.00*	*30.00*	*10.00*	*40.00*
जोड़		**33.00**	**170.00**	**203.00**	**63.00**	**160.00**	**223.00**	**33.00**	**196.62**	**229.62**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	103.18	103.18	...	83.97	83.97	...	80.10	80.10
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
2. संयुक्त स्टॉक कम्पनी पंजीयक	3475	...	24.12	24.12	...	29.03	29.03	...	38.42	38.42
3. कम्पनी अधिनियम तथा क्षेत्रीय निदेशकों के तहत शासकीय परिसमापक	3475	...	17.07	17.07	...	20.82	20.82	...	26.92	26.92
4. अन्य व्यय	3475	...	10.63	10.63	...	16.18	16.18	...	41.18	41.18
	5475	...	15.00	15.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
	जोड़	*...*	*25.63*	*25.63*	*...*	*26.18*	*26.18*	*...*	*51.18*	*51.18*
5. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)	3475	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
	5475	30.00	...	30.00	60.00	...	60.00	30.00	...	30.00
	जोड़	*33.00*	*...*	*33.00*	*63.00*	*...*	*63.00*	*33.00*	*...*	*33.00*
कुल जोड़		***33.00***	***170.00***	***203.00***	***63.00***	***160.00***	***223.00***	***33.00***	***196.62***	***229.62***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	33.00	...	33.00	63.00	...	63.00	33.00	...	33.00
जोड़		**33.00**	**...**	**33.00**	**63.00**	**...**	**63.00**	**33.00**	**...**	**33.00**

1. **सचिवालयः** इसमें मंत्रालय के सचिवालय के व्यय निवेश सुरक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ), सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के लिए ई-गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस परियोजना (एमसीए-21) संबंधी व्यय और भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **कम्पनी पंजीयकः** विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनी पंजीयकों (आरओसी) के कार्यालय संबंधी व्यय के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इनका मुख्य कार्य कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत अपने सम्बन्धित राज्यों में स्थित सरकारी तथा निजी कम्पनियों की वार्षिक विवरणियों, तुलन-पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा करना तथा ऐसी संवीक्षा के परिणामस्वरुप पाई गई अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करना है।

3. (i) **कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी परिसमापकः** कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार, सरकारी परिसमापक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध किया जाता है। वे अनिवार्य परिसमापन के अन्तर्गत आने वाली सभी कम्पनियों के प्रभारी होते हैं।

(ii) **क्षेत्रीय निदेशकः** इनका मुख्य प्रयोजन कम्पनियों के पंजीयकों और सरकारी परिमापकों के कार्यालयों का पर्यवेक्षण करना, सलाह देना और मार्ग दर्शन करना है।

4. अन्य व्ययः इसमें एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग, अन्वेषण एवं पंजीकरण महानिदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, गम्भीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधिकरण तथा प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

5. **भारतीय कॉरपोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए) (आयोजना स्कीम):** संपूर्ण दृष्टि से विचारक मंडल, क्षमता निर्माण, सेवा प्रदान करने वाले संस्थान के रूप में कार्य करने हेतु जिससे कि कॉरपोरेट विकास, सहक्रिया ज्ञान प्रबंधन के जरिए सुधार एवं विनियमन, भागीदारी और समस्या के निवारण में सहायता एक ही स्थान पर प्रदान की जा सके।